Frequently Asked Question

प्रश्न :-1	NOC हेतु आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से E-GRASS पर जाकर किस OFFICE NAME व BUDGET HEAD का बनवाना है ?
उत्तर	NOC हेतु आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से E-GRASS पर जाकर OFFICE NAME – " 11503 DY. DIR, COLLEGE EDUCATION JAIPUR व BUDGET HEAD- 0202-01-103-02-01 बनवाना है
प्रश्न :-2	प्रबन्ध समिति क्या होती है ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 1 देखें ।
प्रश्न :-3	प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होगी ?
उत्तर	प्रबन्ध समिति में प्रधान एवं प्रधानों सहित न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 1.3.1 देखें ।
प्रश्न :-4	क्या प्रबन्ध समिति में महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक है ?
उत्तर	हां, निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 के बिन्दू संख्या 1.3.1 के अनुसार प्रबन्ध समिति में 30 प्रतिशत महिलायें होना आवश्यक है ।
प्रश्न :-5	क्या प्रबन्ध समिति में शिक्षाविद् प्रतिनिधि आवश्यक है ? शिक्षाविद् कौन होते हैं ?
उत्तर	कोई भी शिक्षा क्षेत्र से जुडा व्यक्ति ।
प्रश्न :-6	प्रबन्ध समिति को प्रमाणित करने वाली वैधानिक संस्था कौन है ?
उत्तर	प्रबन्ध समिति को प्रमाणित करने वाली वैधानिक संस्था रजिस्ट्रार संस्थायें है।
प्रश्न :-7	प्रबन्ध समिति में एक समुदाय/जाति के अधिकतम कितने सदस्य हो ?
उत्तर	प्रबन्ध समिति में एक समुदाय/जाति के अधिकतम दो तिहाई सदस्य हो।
प्रश्न :-8	महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कितने सत्र में होना आवश्यक है।

उत्तर	संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचन कर नयी प्रबंध समिति का गठन करना अनिवार्य है। प्रबन्ध समिति का चुनाव तीन सत्र से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
प्रश्न :-9	भूमि किसके नाम हो ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 2.3 के अनुसार भूमि पर संस्था का स्वयं का विवादरहित पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा होना आवश्यक है।
प्रश्न :-10	भूमि मापदण्डानुसार कितनी हो ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 2 देखें।
प्रश्न :-11	नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि किसके स्वामित्व की हो ?
उत्तर	नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि संस्था के स्वामित्व की हो।
प्रश्न :-12	महाविद्यालय हेतु एफ.डी.आर कितने की हो ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 4 देखें ।
प्रश्न :-13	नवीन महाविद्यालय हेतु भवन कितने सत्र तक लीज पर / किराये पर मान्य है ?
उत्तर	महाविद्यालय हेतु भवन अधिकतम तीन सत्र तक लीज / किराये पर मान्य है निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 बिन्दू संख्या 10 देखें ।
प्रश्न :-14	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु चतुर्थ सत्र तथा उसके बाद के वर्षों के लिए क्या प्रावधान है ?
उत्तर	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु चतुर्थ सत्र तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 बिन्दू संख्या 11 देखें ।
प्रश्न :-15	नवीन महाविद्यालय हेतु वित्तीय सुदृढता स्थिति के साक्ष्य क्या हो ?
उत्तर	बैंक पास बुक की छाया प्रति (न्यूनतम 5 लाख रूपये)। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 बिन्दू संख्या 10.1.6 देखें ।

प्रश्न :-16	क्या नवीन महाविद्यालय हेतु आवेदन से पूर्व वेबसाइट होना अनिवार्य है ?
उत्तर	नहीं । वेबसाइट के लिए निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 बिन्दू संख्या 8 देखें ।
प्रश्न :-17	महाविद्यालय हेतु भूमि का माप किससे प्रमाणित हो ?
उत्तर	महाविद्यालय हेतु भूमि का माप सक्षम अधिकारी से (तहसीलदार अथवा उससे उच्च अधिकारी से) प्रमाणित करवावें। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 बिन्दू संख्या 2.6 देखें ।
प्रश्न :-18	महाविद्यालय के लिए भूमि किस प्रकार की हो ?
उत्तर	महाविद्यालय के लिए भूमि मापदण्डानुसार शैक्षणिक / संस्थानिक रूपान्तरित हो। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 2.5 देखें।
प्रश्न :-19	क्या महाविद्यालय हेतु भूमि एवं भवन एक ही निकाय में होना चाहिए ?
उत्तर	हां, भूमि एवं भवन एक ही निकाय में होना आवश्यक है । निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 2,3,10 व परिशिष्ट 13 देखें।
प्रश्न :-20	क्या एक ही भवन में एक से अधिक संस्थाओं का संचालन किया जा सकता है ?
उत्तर	नहीं । निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 3.2.3 देखें।
प्रश्न :-21	भवन के कक्षों का आकार एवं संख्या क्या होगी ?
उत्तर	भवन के कक्षों का आकार एवं संख्या के लिए निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 3.1 देखें।
प्रश्न :-22	भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र किस सत्र का और किस अधिकारी से जारी किया हुआ होना चाहिए ?
उत्तर	भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए सक्षम अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 3.2.4 देखें।

प्रश्न :-23	महाविद्यालयों के लिए शौचालय तथा यूरिनल्स के क्या मापदण्ड हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें।
प्रश्न :-24	क्या महाविद्यालय के भवन के नक्शे पर खसरा नम्बर / प्लाट नम्बर तथा पता आवश्यक है ?
उत्तर	हां, निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 3.2.1 देखें।
प्रश्न :-25	महाविद्यालय के भवन के ब्लू प्रिन्ट का प्रमाणीकरण किससे होना चाहिए ?
उत्तर	सक्षम अधिकारी (कनिष्ठ अभियन्ता से नीचे स्तर का नहीं हो) एवं निरीक्षण दल से। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 3.2.1 देखें।
प्रश्न :-26	प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद स्वयं का भवन कितने वर्षों में होना आवश्यक है ?
उत्तर	तीन वर्षों में ।
प्रश्न :-27	स्वयं का भवन न होने पर तीन सत्र बाद आगामी वर्षों में क्या प्रावधान है ?
उत्तर	इस संबंध में निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 11व 31.2 देखें।
प्रश्न:-28	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितना समय आवश्यक है?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 12.1 देखें।
प्रश्न :-29	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु न्यूनतम मानदण्ड क्या हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 12 देखें।
प्रश्न :-30	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूर्ण नहीं करने पर छठे सत्र से दण्डात्मक प्रावधान क्या हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 31 देखें।

प्रश्न :-31	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की PF कटौती से सम्बन्धित क्या प्रावधान है ?
उत्तर	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की कुल संख्या 20 या 20 से अधिक होने पर PF कटौती आवश्यक है। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 6.5 देखें।
प्रश्न :-32	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की ESI कटौती से सम्बन्धित क्या प्रावधान है ?
उत्तर	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की कुल संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर ESI कटौती आवश्यक है। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 6.5 देखें।
प्रश्न :-33	महाविद्यालय को स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के क्या प्रावधान हैं ?
उत्तर	महाविद्यालय स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 14 देखें।
प्रश्न :-34	महाविद्यालय में नवीन विषय लेने के लिए निर्देश क्या हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 13 देखें।
प्रश्न :-35	महाविद्यालय को सह शिक्षा से महिला शिक्षा व महिला शिक्षा से सह शिक्षा में परितर्वन के लिए क्या निर्देश हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 17 देखें।
प्रश्न :-36	महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन के लिए अधिकतम सीमा क्या हो ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22का बिन्दू संख्या 18 देखें।
प्रश्न :-37	महाविद्यालय के नाम परिवर्तन के लिए क्या निर्देश हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22का बिन्दू संख्या 19 देखें।

प्रश्न :-38	महाविद्यालय के प्रबन्ध अन्तरण का क्या प्रावधान है ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 20 देखें।
प्रश्न :-39	AISHE DCF-II के संबंध में क्या प्रावधान हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22का बिन्दू संख्या 8.2 देखें।
प्रश्न :-40	महाविद्यालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन शुल्क कितना होगा ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 21.4 देखें।
प्रश्न :-41	महाविद्यालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का परिशिष्ट- 10 देखें।
प्रश्न :-42	विधि महाविद्यालय के लिए क्या निर्देश हैं ?
उत्तर	निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 का बिन्दू संख्या 16 देखें। बार काउन्सिल ऑफ़ ईडिया द्वारा दिनांक 12.08.2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगामी तीन वर्षो के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों के खोलने पर रोक लगा दी गयी है। अतः बार काउन्सिल ऑफ़ ईडिया के अग्रिम आदेशों तक नवीन विधि महाविद्यालय खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।

For Any Query: Helpline Numbers 0141-2706736, 2706106 (During Office Hours),
Email: jdpi.cce@gmail.com